संख्या-360/2023/1315/22-2-2023-17(333)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 15 जून, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नत्था पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13821/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.04.2023, दिनांक 27.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नत्था पुत्र श्री बाबूराम, इच्छाराम पुरवा, थाना-फूलबहेड़, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बंदी द्वारा जमीन के बटवारे के विवाद को लेकर दिनांक 24/25.06.1979 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने पिता बाबूराम की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-82/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 02.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 07.09.1998 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.03.2023 तक 04 वर्ष 03 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 04 माह 23 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 02.03.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष 03 माह 18 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 04 माह 23 दिन की भोगी गयी सजा, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नत्था (बन्दी संख्या-50066) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद- लखीमपुर खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-360/2023/1315(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ योजित किमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नं0-1953/2023 नत्था बनाम अधीक्षक, जि0का0, खीरी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।